राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अर्न्तगत मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 09.02.2015 का कार्यवृत्त

उपस्थितिः– संलग्न है।

राज्य मिशन निदेशक एवं सचिव नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। समिति के सदस्य संयोजक एवं राज्य मिशन निदेशक द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रदेश में क्रियान्वयन के सम्बन्ध में हुई प्रगति का संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण करते हुए अवगत कराया गया कि मिशन के प्रदेश में क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु शासन द्वारा राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 को नोडल एजेंन्सी तथा निदेशक सूडा उ0प्र0 को मिशन निदेशक नामित किया गया है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) के अंतर्गत वर्तमान में 82 शहर चयनित है। 75 जिला मुख्यालय शहर (53 जिला मुख्यालय शहर जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या के है और 22 जिला मुख्यालय शहर जो 1 लाख से कम जनसंख्या के है) और 7 अन्य शहर जो जिला मुख्यालय शहर नही है परन्तु जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है)।

मिशन निदेशक द्वारा दिशा निर्देशों के परिपेक्ष्य में मिशन के उद्देश्यों लक्ष्य समूहों तथा मिशन के विभिन्न उपघटकों के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही की अद्यतन प्रगति के संबंध में अवगत कराते हुये समिति के समक्ष निम्नलिखित एजेण्डा विषयों पर की गयी कार्यवाही की अद्यतन प्रगति प्रस्तुत किया गया जिसका संज्ञान लेते हुये समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया :–

<table>
<tr><th>एजेण्डा विवरण</th><th>कार्यसमिति द्वारा कृत कार्यवाही / निर्णय</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>एजेन्डा बिन्दु सं0 – 1 : राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत प्रदेश हेतु वार्षिक कार्य योजना 2014–15 का अनुमोदन :
1. आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार की अपेक्षा अनुसार निर्धारित प्रारूप पर सूडा, उ0प्र0 द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हेतु वार्षिक कार्य योजना 2014–15 को तैयार कर उपलब्ध कराई गई।
2. उक्त के संबंध में भारत सरकार के पत्र संख्या–के–14014 / 29 / 2014–यू0पी0ए0, दिनांक 13 अक्टूबर, 2014 द्वारा प्रदेश हेतु वर्ष 2014–15 हेतु न्यूनतम लक्ष्यों को नियत किया है। जिसका विवरण निम्नवत् है :–
<table>
<tr><th colspan="3">भौतिक लक्ष्य</th></tr>
<tr><th>घटक</th><th>विवरण</th><th>लक्ष्य</th></tr>
<tr><td rowspan="2">सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास</td><td>स्वयं सहायता समूहो का गठन</td><td>6900</td></tr>
<tr><td>स्वयं सहायता समूहो को रिवाल्विंग फंड</td><td>5200</td></tr>
</table>
</td><td>समिति द्वारा अवलोकन किया गया तथा संज्ञान लिया गया।</td></tr>
</table>

	शहरी आजीविका केन्द्रो की स्थापना	82
कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार	प्रशिक्षित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या	105600
स्वरोजगार कार्यक्रम	व्यक्तिगत एवं समूह में उद्यम स्थापना हेतु बैंको से ऋण उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या	25300
शहरी बेघरों हेतु आश्रय	निर्मित किये जाने वाले शेल्टरों की संख्या	51
शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता	पथ विक्रेताओं हेतु सर्वे किये जाने वाले शहरों की संख्या	9
वित्तीय आवंटन– ₹15,797.72 (रूपये लाख में)		

3. कृपया तदुनुसार प्रस्तर–2 पर समिति का अनुमोदन निवेदित है।

एजेन्डा बिन्दु सं0 – 2 : मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत निविदा के द्वारा इम्पैनल किये गये संसाधन संगठनों (रिर्सोस आर्गनाइजेशन्स) का अनुमोदन :

1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत शहरी गरीबो को लघु बचतों के माध्यम से वित्तीय और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उनको स्वयं सहायता समूहों (एस. एच.जी.) और संघों में संगठित किया जाना है। प्रत्येक स्वयं सहायता समूहों के गठन, संचालन, प्रशिक्षण, बैंक से ऋण/लिंकेज, संघो के गठन और अन्य संबंधित क्रियाकलापों के लिए रिसोर्स आर्गनाइजेशन द्वारा 2 वर्षो तक सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा।
2. दिशानिर्देशों के अनुसार पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा रिसोर्स आर्गनाइजेशन को सूचीबद्व किये जाने हेतु दिनांक 2 अगस्त 2014 को निविदा (आर.एफ.पी.) जारी किया गया। इस निविदा द्वारा 23 रिसोर्स आर्गनाइजेशन्स का 24 शहरों हेतु सूचीबद्व कर लिया गया है। संस्थाओं को कार्यादेश जारी करते हुए, रिसोर्स आर्गनाइजेशन्स के साथ राज्य स्तर पर एम.ओ.ए. सम्पादित किया जा चुका है। रिसोर्स आर्गनाइजेशन द्वारा शहरों में स्वय सहायता समूहों के गठन हेतु प्रारम्भिक गतिविधियॉ प्रक्रियाधीन है। सूडा के पत्रांक संख्या–3189/241/एनयूएलएम/तीन/2014 (एसएमआईडी), दिनांक 05.12.2014 द्वारा रिसोर्स आर्गनाइजेशन्स के चयन के आदेश जारी।
3. उक्त 23 शहरों हेतु रिसोर्स आर्गनाइजेशन के सूचीबद्व के पश्चात अवशेष शहरों हेतु रिसोर्स आर्गनाइजेशन्स को सूचीबद्व किये जाने हेतु दिनांक 13 जनवरी 2015 को पुनः निविदा (आर.एफ.पी.) जारी की गई है।
4. उक्त दोनों निविदाओं के द्वारा शहरों हेतु सूचीबद्व किये गये रिसोर्स आर्गनाइजेशन्स के पश्चात् अगर कुछ शहरों में रिसोर्स आर्गनाइजेशन सूचीबद्व हेतु शेष रह जाते है तो उक्त निविदाओं द्वारा सूचीबद्व रिसोर्स आर्गनाइजेशन की कार्यक्षमता, अनुभव एवं निर्गत की निविदा के अनुरूप शेष शहरों के लिये रिसोर्स आर्गनाइजेशन्स को कार्य आवंटन किया जायेगा।

निविदा प्रक्रिया के माध्यम से इम्पैनल्ड किये गये संसाधन संगठनों (रिसोर्स आर्गनाइजेशन) की सूची आदि का अवलोकन किया गया व संज्ञान लिया गया।

5. कृपया तदुनुसार प्रस्तर – 2, 3 एवं 4 पर समिति का अनुमोदन निवेदित है।

एजेन्डा बिन्दु संख्या – 3 राज्य मिशन प्रबंधन ईकाई और शहर मिशन प्रबंधन ईकाई के अन्तर्गत विशेषज्ञों और सामुदायिक आयोजकों (सी0ओ0) की सेवाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु निविदा द्वारा चयनित एच0आर0 एजेन्सी का अनुमोदन :	समिति के समक्ष उक्त एजेण्डा बिन्दु के अन्तर्गत EOI एवं निविदा प्रक्रिया के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का संज्ञान लिया गया।

1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य एवं शहर मिशन प्रबंधन ईकाई के गठन का प्रावधान किया गया है। मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय मिशन प्रबंधन ईकाई में 6 विषय विशेषज्ञों और शहर स्तरीय मिशन प्रबंधन ईकाई में शहरी की जनसंख्या के अनुसार विषय विशेषज्ञों तथा शहर स्तर पर सामुदायिक आयोजकों की सेवाएं लिये जाने का प्रावधान है, जिनका विवरण निम्नवत् है :–

स्तर	विशेषज्ञों की संख्या	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या			
		5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरो में 4 विशेषज्ञ	5 लाख से 3 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में 3 विशेषज्ञ	3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में 2 विशेषज्ञ	कुल 82 शहरों में सामुदायिक आयोजकों की कुल संख्या
राज्य मिशन प्रबंधन ईकाई	6				
शहर मिशन प्रबंधन ईकाई	198	शहर–15 विशेषज्ञ–4	शहर–4 विशेषज्ञ–3	शहर–63 विशेषज्ञ–2	474
कुल विशेषज्ञों की संख्या	204	60	12	126	

2. दिशानिर्देश के अनुसार उपरोक्तानुसार राज्य एवं शहरी मिशन प्रबंधन ईकाईयों में विशेषज्ञों एवं सामुदायिक आयोजकों की आउटसोर्सिंग के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा सेवा लिये जाने हेतु शासन स्तर से निर्णय लिया गया है। उक्त विशेषज्ञों एवं सामुदायिक आयोजकों की सेवाए लिये जाने हेतु निविदा द्वारा एच0आर0 एजेन्सी के चयन की प्रक्रिया अपनाई गई है। इस निविदा प्रक्रिया में सर्वप्रथम ई0ओ0आई0 प्रकाशित कर एच0आर0 एजेन्सियों से तकनीकि प्रस्ताव लेकर उनको शार्टलिस्ट किया गया। ई0ओ0आई0 के माध्यम से शार्टलिस्ट हुई एजेन्सियों को Quality and Cost Based System (QCBS) आधारित आर0एफ0पी0 जारी कर तकनीकि एवं वित्तीय निविदाएं प्राप्त की गई। दिनांक 30 सितम्बर 2014 को जारी आर0एफ0पी0 के माध्यम से XEAM Ventures Pvt. Ltd, Chandigarh नामक एच0आर0 एजेन्सी का चयन किया गया। एच0आर0 एजेन्सी के चयन हेतु जारी कार्यवृत्त संख्या– 2912/241/एनयूएलएम/तीन/2001 (सीबीएण्डटी), दिनांक 20.11.2014 और एच0आर0 एजेन्सी के चयन हेतु जारी कार्यादेश संख्या–2950/241/एनयूएलएम/तीन/ 2001(सीबीएण्डटी), दिनांक 25.11.2014 है। एजेन्सी और राज्य शहरी आजीविका मिशन/सूडा उ0प्र0 के मध्य दिनांक 27 दिसम्बर 2014 को एम0ओ0ए0 हस्ताक्षरित हो चुका है और एजेन्सी द्वारा विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध कराये जाने की प्रारम्भिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

3. राज्य एवं शहर मिशन प्रबंधन ईकाई में रखे जाने वाले विशेषज्ञों और सामुदायिक आयोजकों के पद सृजन हेतु प्रस्ताव शासन के माध्यम से वित्त विभाग को प्रेषित है, जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 4. कृपया तदनुसार प्रस्तर 2 और 3 पर समिति का अनुमोदन निवेदित है।	
एजेन्डा बिन्दु संख्या – 4 : मिशन के घटक शहरी बेघरों हेतु आश्रय की योजना (एस0यू0एच0) के अन्तर्गत आश्रय (शेल्टर होम) निर्माण/उच्चीकरण हेतु स्वीकृत परियोजनाओं का अनुमोदन : 1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका का मिशन के अन्तर्गत शहरी बेघरों को आश्रय (शेल्टर होम) की सुविधाएं/सेवाएं 'शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना' घटक के माध्यम से मुहैया कराई जानी है। यह शेल्टर होम स्थाई रूप से निर्मित किये जायेंगे, जिसमें सभी बुनियादी सेवाये जैसे– हवादार स्थाई कमरें, शौचालय, किचन सुविधा, तख्त, गद्दा, कम्बल एवं एक प्रबंधक, 8 घन्टे की ड्यूटी के हिसाब से 3 चौकीदार/कर्मी होंगे। घटक के अन्तर्गत नव निर्माण एवं पुराने शेल्टरों के उच्चीकरण की सुविधा उपलब्ध है। प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम 50 वर्ग फुट (लगभग 5 वर्ग मी0) का स्थान उपलब्ध कराया जाना है, जिसमें न्यूनतम 50 और अधिकतम 100 व्यक्तियों हेतु स्थान होगा। 50 व्यक्तियों के शेल्टर होम के संचालन हेतु 6 लाख प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षो हेतु संचालन एवं रखरखाव हेतु धनराशि उपलब्ध है। 2. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के चयनित 82 शहरों में अब तक 47 शहरों के 60 शेल्टर होम के प्रस्ताव प्राप्त हुए है। जिनमें से 42 शेल्टर होम राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृत समिति द्वारा स्वीकृत किये जा चुके है। राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृत समिति की बैठकों का आयोजन दिनांक 06.08.2014, 16.10.2014, 28.11.2014, 19.12.2014 एवं 23.01.2015 को किया गया है। दिशानिर्देश एवं शासनादेश के अनुसार सभी स्वीकृत शेल्टर होम का राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति से अनुमोदन होना आवश्यक है। अनुमोदनार्थ हेतु स्वीकृत शेल्टर होम की सूची संलग्न है। 3. शहरी बेघरों हेतु आश्रय के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका (सिविल) संख्या 55/2003 एवं 572/2003 ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान में की जा रही सघन अनुश्रवण में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक "शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना" के मानकों के अनुसार शहरों में प्रत्येक 1.00 लाख की जनसंख्या हेतु 100 शहरी बेघरों हेतु आश्रय की व्यवस्था किये जाने की अपेक्षा के दृष्टिगत कार्यवाही प्रक्रियाधीन। 4. कृपया तद्नुसार प्रस्तर 1, 2 और 3 पर समिति का अनुमोदन निवेदित है।	समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा बिन्दु संख्या – 5 : मिशन के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (ई0एस0टी0एण्ड पी0) के अन्तर्गत शहरी गरीबों के कौशल प्रशिक्षण हेतु कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं के इम्पैनलमेन्ट हेतु तैयार की गई निविदा प्रणाली प्रक्रिया का अनुमोदन : 1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत शहरी गरीबों को वेतनपरक रोजगार एवं स्वयं के लघु उद्यम को चलाने हेतु कौशल प्रदान किये जाने के	समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

लिए कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (ई0एस0टी0एण्ड पी0) घटक के द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। 2. दिशा निर्देशानुसार शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु प्राइवेट कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा इम्पैनलमेन्ट किया जाना है। कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं को इम्पैनल किये जाने हेतु शहर स्तर पर निविदा (आर0एफ0पी0) जारी किये जाने का निर्णय शासन स्तर पर लिया गया है। इस प्रस्तावित निविदा द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं से तकनीकी प्रस्ताव प्राप्त किये जायेंगे। जिसमें कौशल प्रशिक्षण प्रदाता एजेन्सी का टर्नओवर, प्रशिक्षण का अनुभव, प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध सेन्टर एवं प्रशिक्षक के आधार एजेन्सियों का मूल्यांकन कर इम्पैनल किया जायेगा। 3. शहर स्तर पर इम्पैनल की गई एजेन्सियों का अन्तिम अनुमोदन राज्य शहरी आजीविका मिशन/राज्य मिशन प्रबंधन इकाई द्वारा किया जायेगा। जिसमें विशेषकर कौशल प्रशिक्षण प्रदाता एजेन्सी को लक्ष्य का आवंटन, अनुश्रवण गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणार्थियों के सेवायोजन हेतु समयबद्ध तरीके से राज्य शहरी आजीविका मिशन/राज्य मिशन प्रबंधन ईकाई द्वारा कार्यवाही की जायेगी। 4. आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार एवं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन0एस0डी0सी0) मे मध्य अनुबंध द्वारा प्रदेश हेतु अलग से 18550 व्यक्तियों का कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कौशल प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु भारत सरकार व एन0एस0डी0सी0 के साथ कार्यवाही की जा रही है। 5. **कृपया तद्नुसार प्रस्तर –2 और 3 पर समिति का अनुमोदन निवेदित है।**	
<u>एजेन्डा बिन्दु संख्या – 6 :</u> **राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रभावी संचालन/क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक कार्यालय स्थापना का अनुमोदन :** 1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का क्रियान्वयन प्रदेश के 75 जिला मुख्यालय शहर और 2011 की जनगणना के अनुसार 1 लाख एवं 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 7 गैर जिला मुख्यालय शहरों सहित कुल 82 शहरों में किया जा रहा है। 2. दिशानिर्देशानुसार राज्य स्तर पर राज्य शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) जिसकी सहायता हेतु राज्य मिशन प्रबन्धन ईकाई (एस0एम0एम0यू0) होगी, जिसमें 4 परियोजना अधिकारी सहित 6 विषय विशेषज्ञ होगें, जोकि मिशन निदेशक के अधीन रह कर प्रदेश में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का कियान्वयन एवं संचालन करेगें। इस राज्य मिशन प्रबन्धन ईकाई के सहयोग के लिए सहायक, कम्प्यूटर आपरेटर एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मी भी होगें। 3. मिशन के प्रभावी कियान्वयन/संचालन हेतु सूडा, उ0प्र0 के कार्यालय से अलग प्रशासनिक कार्यालय की स्थापना की जा रही है। यह प्रशासनिक कार्यालय,	**समिति द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रभावी संचालन हेतु सूडा कार्यालय से अलग प्रशासनिक कार्यालय स्थापित किये जाने का संज्ञान लिया गया।**

गोमतीनगर, लखनऊ स्थित उ0प्र0 पर्यटन भवन के प्रथत तल पर 2200 वर्ग फुट क्षेत्रफल में स्थापित किया जा रहा है। इस प्रशासनिक कार्यालय की आंतरिक साज–सज्जा का कार्य अंतिम चरण में है। **4. कृपया तद्नुसार प्रस्तर – 3 पर समिति का अनुमोदन निवेदित है।**	
एजेन्डा बिन्दु संख्या – 7 : शहरी पथ विक्रताओं के प्रशिक्षण हेतु क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ को रिसोर्स एजेन्सी/सेन्टर नामित किये जाने का अनुमोदन : 1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजनान्तर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को उनके अधिकार, उत्तरदायित्व, खाद्य पदार्थ एवं स्वयं को साफ सुथरा रखना, कूड़ा निस्तारण, अन्य विभागों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं की जानकारी एवं लाभ प्राप्त किये जाने हेतु 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण किये जाने का प्रावधान है। 2. क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ (नगर विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित) द्वारा शहरी पथ विक्रेताओं को उक्त प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के आधार पर राज्य शहरी आजीविका मिशन द्वारा शहरी पथ विक्रेताओं को शहरवार प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु सूडा के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–2782/241/एनयूएलएम/तीन/2014 (एसयूएसवी टीआरजी), दिनांक 17.11.2014 द्वारा **क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ को रिसोर्स सेन्टर नामित किया गया है।** 3. दिशानिर्देशानुसार प्रत्येक पथ विक्रेता पर प्रशिक्षण हेतु अधिकतम ₹750/– प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से व्यय किया जा सकता है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 दिवसीय होगा। पथ विक्रेताओं को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु सूडा के पत्रांक संख्या–4211/241/ एनयूएलएम/तीन/2014 (एसयूएसवी टीआरजी), दिनांक 30.01.2014 द्वारा विस्तृत रणनीति एवं कार्ययोजना का आदेश राज्य शहरी आजीविका मिशन द्वारा नामित एजेन्सी को जारी किया जा चुका है। **4. तद्नुसार प्रस्तर 2 व 3 पर समिति का अनुमोदन निवेदित है।**	समिति द्वारा अवलोकन किया गया तथा संज्ञान लिया गया।
एजेण्डा बिन्दु संख्या – 8 : शहरी बेघरों हेतु आश्रय की योजना (एस0यू0एच0) के अन्तर्गत आश्रय (शेल्टर होम) निर्माण/उच्चीकरण हेतु सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को कार्यदायी संस्था नागित किये जाने का अनुमोदन : 1. शहरी बेघरों हेतु आश्रय की योजना के अन्तर्गत शहरी बेघरों को शेल्टर होम की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी हैं, आवश्यकतानुसार ये शेल्टर होम नये निर्मित किये जायेंगे और पुराने शेल्टरों का उच्चीकरण किया जायेगा। 2. शेल्टर होम के निर्माण और उच्चीकरण हेतु शासनदेश संख्या–1514/69–1–2014–39 (बजट)/13, दिनांक 11.08.2014 द्वारा **सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित** किया गया है। सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा शहरों में शेल्टर निर्माण/उच्चीकरण के प्रस्ताव तैयार करना, प्रस्तावों को राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृत समिति के समक्ष प्रस्तुत करने में सहयोग एवं स्वीकृत प्रस्तावों पर निर्माण कार्य करना एवं अन्य सहयोग प्रदान किया जा रहा है।	समिति द्वारा अवलोकन किया गया तथा संज्ञान लिया गया।

3. तद्नुसार प्रस्तर – 2 पर समिति का अनुमोदन निवेदित है।

अन्य एजेण्डा बिन्दु – 1 : मिशन के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों हेतु उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का आयोजन हेतु एजेन्सियों का चयन निविदा प्रक्रिया के द्वारा किये जाने का अनुमोदन : 1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक स्व रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभाकारी रोजगार/लघु उद्यम की स्थापना हेतु व्यक्तिगत एवं समूह में ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। इस ऋण पर लाभार्थियों को ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। व्यक्तिगत एवं समूह में ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को अपने लघु उद्यम/व्यवसाय के सफल संचालन हेतु उनको उद्यम प्रबंधन, वित्तीय समावेश, बुनियादी लेखा, वित्तीय प्रबन्धन, मार्केटिंग, बैकवर्ड एण्ड फारवर्ड लिंकजेस, विधायी प्रक्रियाएं आदि का 3 से 7 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने का प्रावधान है। 2. उक्त उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु Rural Self Employment Training Institute (RSETI) को नामित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के पश्चात उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्रदाता एजेन्सियों का निविदा (आर0एफ0पी0) के माध्यम से चयन किये जाने हेतु पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए निविदा प्रणाली प्रक्रिया का अनुमोदन। 3. भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं हेतु फलैक्सी फण्ड के दिशानिर्देश जारी किये गये है ताकि राज्य स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुरूप परियोजनाएं तैयार कर सकें। 4. तद्नुसार प्रस्तर – 2 पर समिति का अनुमोदन निवेदित है।	समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

संलग्नक–यथोक्त

18/02/2015

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन
कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।

पत्रांक– 506/69-1-2015-14(165)/2014 दिनांक– 18 फरवरी, 2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 अपर सचिव, (यू0पी0ए0 डिवीजन) आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, एन0बी0ओ0 बिल्डिंग, नई दिल्ली।
2 मुख्य स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3 प्रमुख सचिव/सचिव नगर विकास, विभाग उ0प्र0 शासन।
4 प्रमुख सचिव/सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

5 प्रमुख सचिव वित्त विभाग उ0प्र0 शासन।
6 प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास विभाग उ0प्र0 शासन।
7 प्रमुख सचिव श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
8 प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
9 प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
10 प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
11 प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
12 प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
13 निदेशक तकनीकी शिक्षा, उ0प्र0।
14 निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उ0प्र0।
15 श्रमायुक्त उ0प्र0।
16 निदेशक उद्योग, उ0प्र0।
17 श्री के0 के0 माथुर, मुख्य प्रबंधक, (SLBC) बैंक ऑफ बड़ौदा, आंचल कार्यालय, लखनऊ।
18 श्री देवेन्द्र सिंह भटनागर, सहायक महाप्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, लखनऊ।
19 क्षेत्रीय प्रबन्धक, आर0बी0आई0, गोमती नगर, लखनऊ।
20 श्री चेतन देव भल्ला, उपाध्यक्ष, इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन।
21 सुश्री अनीता भदौरिया, नामित सी0डी0एस0 अध्यक्षा, डूडा–कानपुर नगर।
22 सुश्री अनीता सिंह, नामित सी0डी0एस0 अध्यक्षा, डूडा–लखनऊ।
23 सुश्री कुसुम सिंह पटेल, नामित सी0डी0एस0 अध्यक्षा, डूडा– वाराणसी।
24 श्री तारिक खान, सचिव नामित सदस्य स्वयं सेवी संस्था, फीड– लखनऊ।
25 मिशन निदेशक, राज्य शहरी आजीविका मिशन (सूडा), उ0प्र0।
26 सहायक वेबमास्टर, को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
27 गार्ड फाइल।

(एच0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।